

# फर्द अहकाम

अज अदालत

(नियम-26)

उपखण्ड

कमिश्नरी

मुकाम

नीमकावाळ

श्री २०१७ कांड

बनाम

पुत्र विद्या कांड

किस्म मुकदमा

२०१२ ए.ए.

नं

२५२

सन

२०१९

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
२-१२-१९	<p>उपखण्ड ३५०१ उपखण्ड ३५०१ के सुना गया। पत्रावली एवं डिपो रदकील का नीमकावाळ का राजस्व से काट का करलका किया गया। जर्कीका द्वारा कपती कोतरी आगे पट पहुंचे के लिए जो रास्ता पुरा गया है वह सुनादित रफाई एवं डिपो रदकील का नीमकावाळ के अखत १२६२/१, जें-सु-केल १२/१५ व १२६२/२ ०-०२ चारागाह आगे हो जो मुख्य कागज है। राजकीपु जे-सु केल १२/१५ एवं चारागाह आगे के ह रास्ता डिपो कागज अखित प्रतीत नहीं होगा है।</p> <p>प्रकरण के अह हए पट जर्कीका के रास्ता डिपो जमन का अखित नहीं है। अतः जर्कीका का जर्कीका पत्र २०१२. ना.के.ए. का दो निषेध खारिज किया जाना है। डिपो के द्वारा लिजाया कागज फुले जमायालय के हुनाया गया।</p>	<p>११/१२/१९</p> <p>१०/१२/१९</p>

(साधु राम पट)